

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि०न० - 102/2024

अनवान : -

1. हनुमानसिंह पुत्र जागरराम जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।

वादी

बनाम

1. जागर उर्फ जागरराम पुत्र शंकर जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।
2. कलावती पुत्री जागरराम जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।
3. विमला पत्नी जागरराम जाति जाट निवासी निनाण त० भादरा।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 29/29 के मु०न० 48 के किला न० 9 ता 12 मु०न० 49 के किला न० 6 ता 9, 10/1, 10/2, 13 ता 15 की कुल 3.0360 है० प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ-साथ वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।




[Handwritten signature]

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 29/29 के मु०न० 48 के किला न० 9 ता 12 मु०न० 49 के किला न० 6 ता 9, 10/1, 10/2, 13 ता 15 की कुल 3.0360 है० प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 के नाम वाद भूमि के अलावा रोही मौजा चक 10 एएमएस के खाता सं० 19/15 की कुल 2.7830 है० अन्य कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 29/29 के मु०न० 48 के किला न० 9 ता 12 मु०न० 49 के किला न० 6 ता 9, 10/1, 10/2, 13 ता 15 की कुल 3.0360 है० प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन कर वादी हनुमान सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज गै०मु० खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 - 102/2024

अनवान :-

1. हनुमानसिंह पुत्र जागरराम जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. जागर उर्फ जागरराम पुत्र शंकर जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
2. कलावती पुत्री जागरराम जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
3. विमला पत्नी जागरराम जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
4. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 29/29 के मु0न0 48 के किला न0 9 ता 12 मु0न0 49 के किला न0 6 ता 9, 10/1, 10/2, 13 ता 15 की कुल 3.0360 है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी हनुमान सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ओ.पी.चन्देलिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़